FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

कालू बनाम गिरधारी लाल वगै0

[illegible] मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 965 सन 2022 जीसीएमएस नं.

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री हरिसिंह सैनी** एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण द्वारा जबाब पेश किये जाने तक उभय पक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 40, 40/439 किता 02 रकबा 1.54 हैक्ट अवस्थित ग्राम बरसिंहवास पटवार हल्का आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना में किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान नही करें तथा बिना सक्षम अनुमति के निर्माण नही करें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वेकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया [illegible] पत्रावली दिनांक 09.06.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:39:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
12/10/23 पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/10/23 को पेश हो।	
18 8/2023 अप्रार्थी सं. 7 की ओर से प्रार्थना पत्र मिसल तलबी के साथ प्रा०पत्र बाबत [illegible] पेश होने पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी उपस्थित। प्रा० पत्र पर पक्षकार को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 7 के हिस्से तक स्थगन हटाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 11-5-2022 को जारी अन्तरिम टी.आई से अप्रार्थी सं. 7 को मुक्त किया जाता है। शेष अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा यथावत रहेगी। पत्रावली पूर्व नियत पेशी दिनांक 4/10/2023 को पेश हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज०)	अप्रार्थी सं. 07 के हिस्से तक स्थगन हटाने पर कोई आपत्ति नहीं है। 18.8.23
28 8/2023 पत्रावली अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 6 की ओर से प्रा०पत्र मिसल तलबी के साथ प्रा०पत्र बाबत अप्रार्थी सं. 6 का हिस्सा टी.आई से मुक्त करने पेश होने पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी को [illegible] वकील प्रार्थी प्रा०पत्र स्वीकार [illegible] के हिस्से तक स्थगन हटाये जाने [illegible] नहीं है। अतः न्यायहित में प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है [illegible] दिनांक 11/5/22 को जारी अन्तरिम टी.आई से अप्रार्थी सं. 6 को मुक्त किया जाता है। पत्रावली दि० 4/10/23 को पेश हो।	अप्रार्थी सं. 6 के हिस्से तक स्थगन के हटाने पर कोई आपत्ति नहीं। 28.8.23

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:39:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म | हुक्म या कार्यवाही ...

4/10/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/12/23 को पेश हो।

15/12/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/3/24 को पेश हो।

11/3/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवायी गयी। आवाज लगवाने के उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर दफ्तर दाखिल हो।

(राजवीर सिंह यादव)
... अधिकारी
... (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:39:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner